राजस्थान–सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–60 / 2018

1–हुक्मसिंह आयु करीब 65 साल पुत्र श्री लालसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

............................वादी

बनाम

1–ओमप्रकाश पुत्र श्री बद्री प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा तसीमों तामील जरिये शाखा प्रबन्धक
3–राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार सैंपऊ .... प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त
व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – 1– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट................ (वादी)
2– श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट..........................(प्रतिवादी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

निर्णय दिनांक 02.02.2023

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 331, 313, 322 स्थित वाकेग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 16.10.2019 को दावा प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारों के रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व / 2022 / 690 दिनांक 28.11.2022 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विद्वान वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषकगण को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया तथा विद्वान वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषकगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने बाबत सहमति जाहिर की एवं हस्ताक्षर किये। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम तसीमों पटवार हल्का तसीमों तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–हुकमसिंह पुत्र लालसिंह जाति ठाकुर सा0 तसीमों खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा धूलकोट धौलपुर।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	313	0.3667	बा.गो.
2.	322/1	0.0708	बा.गो.
3.	331/1	0.2296	बा.गो.
योग	किता– 3	रकवा–0.6671 हैक्टेयर	

2–शीला पत्नी रामनाथ, गुड्डी पत्नी कोमलसिंह हि0ब0 जाति ठाकुर सा0 तसीमों खातेदार

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	322/2	0.3465	बा.गो.
2.	331/2	0.1371	बा.गो.
योग	किता– 2	रकवा–0.4836 हैक्टेयर	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे एवं उभपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप जिला कलक्टर
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

राजस्थान सरकार

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

बज अदालत – उप जिला कलक्टर सैंपऊ
बइजलास –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–60 / 2018

1–हुक्मसिंह आयु करीब 65 साल पुत्र श्री लालसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

.............................वादी

बनाम

1–ओमप्रकाश पुत्र श्री बद्री प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर
2–स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा तसीमों तामील जरिये शाखा प्रबन्धक
3–राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार सैंपऊ

.... प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त
व स्थायी निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट एवं मिनजानिब मुद्दायलह श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम तसीमों पटवार हल्का तसीमों तहसील सैंपऊ के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–हुकमसिंह पुत्र लालसिंह जाति ठाकुर सा0 तसीमों खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा धूलकोट धौलपुर।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	313	0.3667	बा.गो.
2.	322 / 1	0.0708	बा.गो.
3.	331 / 1	0.2296	बा.गो.
योग	किता– 3	रकवा–0.6671 हैक्टेयर	

2–शीला पत्नी रामनाथ, गुड्डी पत्नी कोमलसिंह हि0ब0 जाति ठाकुर सा0 तसीमों खातेदार

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	322 / 2	0.3465	बा.गो.
2.	331 / 2	0.1371	बा.गो.
योग	किता– 2	रकवा–0.4836 हैक्टेयर	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे एवं उभपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल ...र होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02.02.2023 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
सैपऊ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ